भी तथ्य हमारे ध्यान में आये हैं जिन्हें हम आपकी नोटिस में लाना चाहेंगे और यहां पर हम सदन की राय भी जानना चाहेंगे। इस लिये मेरा निवेदन यह है—हमारे अन्य साथी भी इस बात से सहमत हैं—कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज आप कोई निर्णय न दें, आज आप अपना निर्णय स्थगित रखें और जब सदन का अगला सत्र होगा, उसमें इस सवाल के बारे में फैसला करें। मैं समझता हूं इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री मधु लिमये : मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है।

SHRI NATH PAI : Sir, I fully endorse the proposal made by my hon. friend, Shri Vajpayee. But before you reach this conclusion, I would also like to suggest that under Article 88 of the Constitution the Attorney-General should be asked to come and speak before the House because some very vital issues are before you and before you finally dispose of the matter we should hear him also. Sir, we will endeavour our very best to co-operate with you in carrying out the onerous and difficult duty that you have, but we only want that we are given the benefit of hearing the Attorney-General on the vital issue of *sub judice* and why the Government did what it did. I hope that also should be possible.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I fully support the sentiments expressed by my hon. friend Shri Vajpayee and I also support the suggestion that the Attorney-General should be asked to come and enlighten us on this important issue. We have heard the Law Minister sufficiently. He has only created confusion. We would request you to kindly direct the Prime Minister to see that the Attorney-General comes and addresses the House on this point before you give your judgment.

MR. SPEAKER : Anyway, today we are adjourning in another one hour. Therefore, when I have given my ruling yesterday on the main point I think there is no urgency about the matter. We can hear them and later on come to a decision. I accept the proposal made by Shri Vajpayee.

Now, what about this Bill ?

श्री मधु लिमये : एक मिनट का मौका मुझे भी दें। कम से कम विधेयक के पेश करने का मौका दें।

MR. SPEAKER : I will allow that. I am only asking whether they are going to proceed with this Bill now.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S MURTHY) : It can be postponed.

MR. SPEAKER : You want it to be postponed.

SHRI B. S. MURTHY : Yes. I move that discussion on this Bill may be postponed to the next session.

MR SPEAKER : The question is :

"That discussion on this Bill be adjourned."

The motion was adopted.

---

18 10 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 74 & 163)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर बिचार किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधेयक का विषय मंत्रि परिषद् की संख्या से सम्बन्धित है। आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में मंत्रि परिषद् की संख्या निश्चित करने का अधिकार प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री का होता है। मैं यह नहीं चाहता था कि उनके अधिकार पर कोई रोक लगाई जाय। अच्छा होता अगर हम लोग इस सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त कायम करते।

स्वेच्छा से बिना कानून और नियम बनाये

[श्री मधु लिमये]

मंत्रि-परिषद् की संख्या नियमित करते या सीमित या करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इधर डेढ़ दो साल से एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति सामने आई है। अपने को सत्ता में बनाये रखने के लिये कांग्रेस पार्टी मंत्रि-परिषद् की संख्या उढ़ाने का काम बराबर करती रही है। पिछले वर्ष से गैर-कांग्रेसी सरकारें आई और वह भी इसी रास्ते पर चल पड़ीं।

श्री ब० ना० कुरील (रामसनेहीघाट) : वह कुछ आगे ही रही।

श्री मधु लिमये : नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आंकड़े दूंगा उससे स्थिति साफ हो जायेगी। हमें जरा विवेक से बोलना चाहिये। पिछले वर्ष का एक चित्र मैं आप के सामने रखता हूँ। जैसे जम्मू और काश्मीर का मामला है या पंजाब के गिल साहब का मंत्रिमंडल है...

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, यहां कोई मंत्री नहीं हैं गृह मंत्रालय के, कौन यहां के वाद-विवाद को सुन रहा है।

SHRI DWAIPAYAN SEN (Katwa) : One Minister is present here.

श्री मधु लिमये : कानून मंत्री कहां गये ?

श्री रवि राय : क्या श्री रघुनाथ रेड्डी साहब जवाब देंगे ? आप गृह मंत्री को बुलवाइये।

MR. SPEAKER : Perhaps, they did not expect the consideration of the other Bill to be postponed.

श्री मधु लिमये : तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी गलत काम हुआ और गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने भी उसके बारे में गलत काम किया है। आप के सामने मैं आंकड़े रखता हूँ। जैसे राजस्थान की सरकार है। यह तो कांग्रेस की सरकार है। वहां पर 184 सदस्य कुल हैं, लेकिन उन में से मंत्री 31 हैं। इसी तरह असम विधान सभा के सदस्यों की संख्या 126 है, लेकिन मंत्रियों की संख्या 20 है। वह भी कांग्रेस की सरकार है। इसी तरह जो कांग्रेस समर्थित मंडल साहब की सरकार थी, उसमें सरकारी दल के कुल 36 सदस्य थे और सब के सब मंत्री थे।

एक माननीय सदस्य : पंजाब में क्या हुआ।

श्री मधु लिमये : सब चीजों की तरफ आ रहा हूँ। इसी तरह पंजाब में 104 सदस्यों की विधान सभा है और गिल साहब के 16 मंत्री हैं। यह तो कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित की सरकारों के सम्बन्ध में रहा। अब मैं थोड़ी सी गैर-कांग्रेसी सरकारों की आलोचना करना चाहूँगा।

एक माननीय सदस्य : थोड़ी से क्यों, पूरी कीजिये।

श्री मधु लिमये : मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। मैं उनको छोड़ने वाला थोड़े हूँ। जैसा हरियाना में इस सरकार के हटने के पहले 81 सदस्यों की विधान सभा थी और गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मंडल में 20 थे। मध्य प्रदेश में भी 226 सदस्यों की विधान सभा है और वहां पर 34 मंत्री हैं। महामाया बाबू की सरकार के पतन के तीन चार महीने पहले उन्होंने मंत्रि-मंडल का अनुचित ढंग से बिस्तार किया था और मंत्रियों की संख्या 32 हो गयी थी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि अगर हम स्वेच्छा से अपने ऊपर कोई रोक नहीं लगाते हैं तो कानून से निश्चित रूप से रोक लगाने का सवाल हम उठायें। इस लिये मैंने सुझाव दिया है कि लोक सभा या विधान सभा में जो चुने हुये सदस्य हैं उनका 1/12 हिस्सा मंत्रियों की संख्या होनी चाहिये। उससे अधिक नहीं।

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : You are very liberal.

श्री मधु लिमये : 1/12 में बहुत कम रहेंगे ।

अब सवाल आयेगा कि क्या दुनिया के संविधानों में इस तरह की कोई सीमा मन्त्रि-परिषद् पर लगाई गयी है । इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक आयरलैंड का सवाल है, उसमें यह कहा गया है कि कम से कम सात मंत्री रहेंगे और अधिक से अधिक 15 रहेंगे । जापान का जो संविधान है उसमें यह स्पष्ट तो नहीं किया गया है लेकिन इसके लिये उसमें यह व्यवस्था की गई है कि कानून के जरिये जापान की पार्लियामेंट यह निश्चित कर सकती है । इंग्लैंड में भी एक दृष्टि से...

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : आयरलैंड में कितने हैं ?

श्री मधु लिमये : वह छोटा राष्ट्र है इस लिये मंत्रि-परिषद भी छोटी है । इंग्डलैंड में भी एक कानून बना है और इस पर रोक लगाई गई है ।

SHRI D. G. SHARMA (Gurdaspur) : One out of every three members is a minister, deputy or parliamentary secretary in U. K.

श्री मधु लिमये : 600 से अधिक सदस्यों का हाउस आफ कामन्स का सदन है । उस में करीब 70 हैं । लेकिन उनमें भी रोक है । जिन को तनख्वाह मिलती है ऐसे मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की संख्या सीमित है ।

अब हमारे यहां जब संविधान बनाने की बात आई, तब हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आचार्य कृपालानी बैठे हैं उनको मालूम होगा कि उस समय डा० अम्बेदकर ने क्या कहा था । उन्होंने जो कहा था वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । उसके पहले अंग्रेजों के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में मंत्रि-परिषद् की संख्या 10 निश्चित की गयी थी । इसके बारे में डा० अम्बेदकर कहते हैं कि :

> "It is not possible at the very outset to set out a fixed number for the Cabinet. It may be that the Prime Minister may find it possible to carry on the administration of the country with a number less than 15. There is no reason why the Constitution should burden him with 15 ministers when he does not want as many as are fixed by the Constitution. It may be that the business of the Government may grow so enormously big that 15 may be too small a number. There may be the necessity of appointing more members than 15. There again it will be wrong on the part of the Constitution to limit the number of ministers and to prevent him from appointing such number as the requirement of the case may call upon him to do."

अम्बेदकर साहब ने यह विश्वास किया था कि मंत्रि-परिषद् की संख्या में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान मंत्री को मिलना चाहिये । लेकिन वह पन्द्रह की बात करते थे । मगर बढ़ते बढ़ते अब उसमें 54 मंत्री हो गये हैं ।

फिर इस देश में हर चीज में जाति व्यवस्था भी बहुत जल्दी आ जाती है । जैसे सरकारी नौकरियों में क्लास 1, 2, 3, और 4 हो गये उसी तरह मंत्रीपरिषद् में भी यह जाति व्यवस्था आ गई। काबीना के मन्त्री, फिर राज्य मन्त्री, फिर उप-मन्त्रि और चौथी एक अछूत जाति हो गई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की । इस लिये इस जाति व्यवस्था को हमें मिटाना होगा ।

अपने विधेयक में मैंने मन्त्रि-परिषद् की व्यवस्था नहीं की है । लेकिन उसमें खतरा उत्पन्न हो सकता है कि मन्त्रपिरिषद् के बारे में एक नया भाष्य होगा कि मन्त्रिपरिषद् में डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री नहीं आते । इस वक्त हमारे यहां नियमों में इसका उल्लेख किया गया है । जो संसद् के नियम हैं

[श्री मधु लिमये]

उनमें एक नियम इस सम्बन्ध में है, और उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि :

" 'Minister' means a member of the Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary ;"

मेरा भी यही मत है। लेकिन कल नियमों में परिवर्तन हो जाय तो और झंझट हो जायेगा। इसलिए यह आवश्यकता पड़ी कि यह स्पष्ट कर दिया जाय मेरे विधेयक में। मैं लम्बी बहस इसलिये नहीं करना चाहता हूं। जब पार्लियामैंट के प्रस्ताव के अनुसार यह दल-बदल की जो प्रक्रिया चल रही हैं उसके बारे में एक कमेटी बैठी, जिसका मैं सदस्य हूं, उसकी बैठक में मैंने सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर खींचा था कि मैंने इस सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। जब इसके बारे में वहां पर बहस हुई तब मैंने देखा कि उस कमेटी में इस विषय के बारे में करीब-करीब एक सी राय है। उस बैठक में गृह-मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि वह मेरे विधेयक के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। लेकिन वह संख्या 1/10 हो या 1/12 हो अथवा 1/14 हो, इसके बारे में बाद में सोचेंगे।

अगर सरकार की ओर से इस सदन में—क्योंकि वह कमरे की चार दीवारी के अन्दर दिया गया आश्वासन था - कोई आश्वासन दिया जाता है कि इस विधेयक के सिद्धान्त को हम मानने के लिए तैयार हैं और मंत्रि-परिषद् की संख्या पर कानूनी रोक लगाने के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे 1/10 हो या 1/14 हो—मैंने तो 1/12 का सुझाव दिया है—तो मैं इस पर बहस के पश्चात् आग्रह नहीं करूंगा कि अभी इस पर वोट लिये जायें।

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Now, there is an amendment in the name of Shri Salve. He is not here. Shri R. D. Bhandare.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Mr. Speaker, Sir, I cannot accept the principle enunciated by Shri Madhu Limaye under this Bill. If my learned friend, Shri Madhu Limaye, makes a study of different Constitutions and more specially Parliamentary Constitutions in different countries, he will find that the vast number of the Ministers as a phenomenon is not a new one to the political science at all. If you are to take into consideration the evolution that is found under the British Constitution and the number of Ministers there, he will readily agree with me that the number which is not beyond 63 in this country is very moderate.

What happened during the First World War ? In order to facilitate and carry on the execution of War successfully, the number of the Cabinet Ministers was restricted to 23. During the Second World War, under the coalition Government, the number of the Members of the Cabinet had to be increased. After the cessation of the Second World War, the number continued when the socialist Government, the Labour Government, came to power after the General Elections which were held in 1945. Today, the position is that the Members of the Cabinet are in between 25 to 26 and the Members of the Ministry are in between 61 and 65.

Now, if you take into consideration the aspect of evolution of the formation of Ministry, the founding fathers thought it wise that it should be left exclusively to the leader of the House, the Prime Minister, who has complete freedom to choose his or her own colleague to be included in the Ministry and, I think, the founding fathers were right and justified. My hon. friend, Shri Madhu Limaye is afraid or is taken to fright about the aspect of defections. So much has been said and so much has been written about defections. I do not know whether my learned friend has gone to the genesis as to why there are these defections taking place on a larger noticeable scale. In India, politics is not polarised and political conditions, though

stable in terms of political parties, are very fluid.

It is but natural, since the views are not polarised and fossilised...

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) ; For God's sake, do not use both the words together.

SHRI R. D. BHANDARE : I know the difference between the implications of polarisation and fossilisation of views Fossilisation is fixity of views and in that context, I used the word 'fossilisation'. If politics are not polarised, there is bound to be a change of side. Of course, if there is a change of side for power, for getting oneself in the Ministry, that part of it I am prepared to condemn...

SHRI JHARKHANDE RAI (Ghosi) : Mostly becaues of power now-a-days.

SHRI R. D. BHANDARE : No. There are a number of other factors. My friends have condemned Soshit Dal. Soshit Dal is a rise of the backward classes or a new phenomenon found in Bihar, in U. P., in M. P....(*Interruptions*).

SHRI JHARKHANDE RAI : Not in U. P.

SHRI R. D. BHANDARE : Long before we were born, there was Soshit Dal—a powerful block. I tried to assimilate them in the Republican Party. .... (*Interruptions*). You are thoroughly under a wrong impression ..(*Interruptions*).

AN HON. MEMBER : Sidetracking the issue.

SHRI R. D. BHANDARE : I am not excited ; I am not sidetracking the issue.

Therefore, the rise of Soshit Dal is also a phenomenon which signifies the fact that there is social uprising in some of the classes and because of the social uprising, there are bound to be changes in the size or changing of political parties

Then, the economic factor is also to be taken into consideration. As the economic power is gradually concentrated in the hands of some of the classes, both in the rural and in the urban areas, there is also polarisation. This aspect could be found and studied over the past ten years. Why is there the rise of so many parties, more especially the Swatantra Party, the powerful Jan Sangh, and why is it that there are landslides in the socialist party and some individuals are going and forming small new groups and are ripening into parties ? It is because polarisation is taking place.

Therefore, if at all we want to amend and change the Constitution because of defections and because some persons are enamoured of power and because they would like to get themselves included in the Ministries they would like to change sides, the amendment of the Constitution, the amendment of articles 74 and 163 of the Constitution is not going to be a deterrent on this aspect of defections. Therefore I find no reasons whatsoever for changing or amending or touching the Constitution in order to put a curb on defections.

While my hon. friend was speaking, he agreed, he said that Japan is a small country and in comparison to the population...

SHRI MADHU LIMAYE : मैंने कहा ग्रायर्लैण्ड ।

SHRI R. D. BHANDARE : ...and in comparison with the population, Ministries are formed. One has, therefore, to take into consideration the population as the basis of democracy, which democracy must reflect the individuals...

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : In the number of Ministers.

SHRI R. D. BHANDARE : The number of Ministers, in the sense that if it is to be a democracy, democratic rule by representation, then representation must be given to the people in proportion to the population, and the colour of that population must be reflected in the administration and the government of the country.

There are three wings....

MR. SPEAKER : The hon. Member may continue on the next occasion.

श्री मधु लिमये : ग्रध्यक्ष महोदय, इस ग्राधे घंटे की बहस के बाद मेरा बयान ग्रौर मंत्री महोदय का जवाब होना है ।

MR. SPEAKER : But the concerned hon. Minister is not here. We shall send for him.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि संसद्-कार्य मन्त्री, डा० राम सुभग सिंह, ने एक विधेयक के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए यह घोषणा की थी कि संसद् का एक अधिवेशन दक्षिण में करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संसदीय समिति की घोषणा इस अधिवेशन की समाप्ति तक कर दी जायेगी। आज यह अधिवेशन समाप्त हो रहा हैं। आप मंत्री महोदय को कहें कि वह अपने बचन का पालन करते हुए इस बारे में घोषणा करें ।

MR. SPEAKER : I do not know. We shall ask him. Let us see. Now, we will take up the half-an-hour discussion.

18.32 hrs.

ZONAL* PLANS IN DELHI

श्री मलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान दिल्ली के मास्टर प्लान की ओर खींचना चाहता हूं। दिल्ली देश की राजधानी है और संसार की राजधानियों में जिस गति से यह बढ़ रही है, शायद उतनी गति से और कोई राजधानी नहीं बढ़ रही हैं।

इस 571 वर्ग मील के क्षेत्र में 1947 में कुल 5 लाख की आबादी थी, जिसमें दिल्ली नगर और 300 गांव थे। विभाजन के बाद यहां से कुछ आबादी पाकिस्तान चली गई, परन्तु वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए बहुत से लोग यहां बसने शुरू हो गये। 1951 की जनगणना के समय यहां की आबादी 16 लाख से ऊपर हो गई, 1951 की जनगणना में वह बढ़कर 26½ लाख हो गई और इस समय यहां की आबादी लगभग 40 लाख है।

जब यहां की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट ने इसके सुनियोजित विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का निश्चय किया। उसके लिये एक कमेटी बनाई गई, जिसने कई साल काम किया और लगभग 1962 में वह प्लान तैयार हुई। उस प्लान को बनाते समय प्लान बनाने वालों ने अपने सामने कुछ टारगेट्स रखे, उनके अपने कुछ अंदाजे थे कि दिल्ली की आबादी में कितनी बढ़ोतरी होगी। उनके अनुसार 1960 तक दिल्ली की आबादी लगभग 40 लाख होगी। इसी प्रकार उन्होंने और भी अनुमान लगाये थे। परन्तु जिस गति से दिल्ली की आबादी बढ़ी है और इसका फैलाव हुआ है, उससे वे सारे अनुमान गलत ही गए हैं। वह मास्टर प्लान जिन अनुमानों और आंकड़ों के आधार पर बनाई गई थी, वे सब गलत हो गए हैं। परिणाम यह है कि आज वह मास्टर प्लान कायम है, परन्तु उस पर व्यावहारिक रूप में अमल होना सम्भव नहीं रहा है।

उस मास्टर प्लान में कुछ बातों का सुझाव दिया गया था। उनमें से एक सुझाव यह था कि दिल्ली में दो प्रकार के क्षेत्र होंगे : एक रिहायशी क्षेत्र और दूसरा ग्रीन बेल्ट, सब्ज क्षेत्र, जिसमें कोई मकान वगैरह नहीं होंगे। मगर जिस समय यह प्लान बना, उस समय जिस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर किया गया, उसमें पंद्रह-बीस कालोनीज बन चुकी थीं, जिनमें मकान बन चुके थे और लोग रहते थे। ऐसा लगता है कि प्लान बनाने वालों ने अपने एयर-कन्डीशन्ड रूम में बैठकर प्लान बनाई। उन्होंने कभी जाकर यह देखने की कोशिश नहीं की कि जिस क्षेत्र को हम ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, वहां रिहायशी मकान बने हुए हैं।

इसी प्रकार उन्होंने यह निर्धारित कर दिया कि अमुक जगह पर इतने स्कूल, कालेज और धोबी घाट आदि होंगे। उन्होंने यह विचार नहीं किया कि वहां उस समय लैंड यूज क्या था।

*Half-an-hour Discussion.